न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :–30 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.खंगारराम पुत्र राणाराम जी जाति विश्नोई 02.हडमानराम पुत्र राणाराम जाति विश्नोई 03.श्रवणराम पुत्र राणाराम जाति विश्नोई 04.हजारीराम पुत्र थानाराम विश्नोई निवासीगण ग्राम जांगूवास भाचरना तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01श्रीमती राजू विश्नोई पत्नि श्यामलाल जी जाति विश्नोई निवासी गांव जांगूवास भाचरना तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.कोलाराम पुत्र थानाराम जी जाति विश्नोई निवासी जांगूवास भाचरना तहसील लूणी जिला जोधपुर। 03.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।
उपस्थित अधिवक्ता।
01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति उपस्थित।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ईश्वरसिह चम्पावत उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 12/7/2023

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के सह खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 313 रकबा 8.5065 हैक्टर चाही तृतीय खसरा संख्या 322 रकबा 0.0162 हैक्टर गैर मुमकीन ओडिया खसरा संख्या 323 रकबा 10.3599 हैक्टर चाही तृतीय खसरा संख्या 352 रकबा 0.0162 गैर मुमकीन बेरा कुल खसरा 4 कुल रकबा 18.8988 हैक्टर वाके ग्राम भाचरणा पटवार क्षेत्र भाचरणा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है। जो भृमि प्रार्थीगण से सह खातेदारी मे दर्ज हैं जिसमे प्रार्थीगण के अलावा अन्य सह खातेदार काबिज है जिस भूमि को आगे विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। कि विवादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की सह खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि है जिसका बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हो रखा हे तथा भूमि सामलाती तौर पर राजस्व रेकार्ड मे भी दर्ज है तथा मौके पर भी सामलाती रूप से काम मे ली जा रही है अप्रार्थी संख्या 2 भी उक्त का यह खातेदार है जिसका अपने परिवार के सदस्यो के साथ झगडा फसादा है जिसमे अप्रार्थी संख्या 2 के पुत्र एवं पौत्र भी अप्रार्थी संख्या 2 से कृषि भूमि को लेकर विवाद करते है। इस स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की नियत से एवं अन्य सह खातेदारान को अनावश्यक विवाद मे पैदा करने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 से मिली भगत कर अविभाजित सह खातेदारी की कृषि भूमि अर्थात विवादग्रस्त कृषि भूमि को कागजी बैचाननामा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे करते हुए प्रार्थीगण को धमकी देते है कि प्रार्थीगण संख्या 1 उक्त कागजी बेचाननामा द्वारा मोके पर भाकर मुख्या सडक से लगती भूमि पर कब्जा कर देगे तथा प्रार्थीगण को बेदखल कर देगे तथा जबरन कब्जा कर देगे जिसके लिए अप्रार्थीगण आपस मे मिले हुए है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 स्ट्रेन्जर पर्सन है जिसको किसी भी प्रकार कोई हक अधिकारी नही है तथा कानूनी तौर पर अप्रार्थी संख्या 1 अविभाजित सह खातेदारी की भूमि मे प्रवेश नही कर सकता है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को धमकी देते है कि वो जबरन विवादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रवेश नही कर सकता है परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को धमकी देते है। कि वो जबरन विवादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रवेश कर प्रार्थीगण को बेदखल कर देगे। तथा सडक से चिपती हुई किमती एंव मुख्य

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner

भूमि पर कब्जा कर देगे। अप्रार्थी सख्या 2 के पति भूमाफिया है तथा उसने अप्रार्थीगण से साठं–गांठ कर दिनांक 19.01.2022 को प्रार्थी को धमकी दी की वो कृषि भूमि का विभाजन करवाए बगैर ही जोर जबरदस्ती अतिक्रमण करेगे तथा अप्रार्थी संख्या 1 स्ट्रेन्जर पर्सन है ऐसी स्थिति मे अब प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा कोई चारा नही है जिसके लिए वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। कि प्रार्थीगण पेशे के काश्तकार है तथा मौके पर खेती करते है परन्तु अप्रार्थीगण ईष्या से एंव जोर जबरदस्ती प्रार्थीगण को बेदखल कर देगे तथा सडक की चिपती किमती भूमि पर कब्जा कर देगे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 को समझाया कि भूमि का विभाजन करवा देगे परन्तु अप्रार्थी नही मान रहे है तथा विभाजन हेतु भी तैयार नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 कागजी बेचाननामा द्वारा जबरन मौके की स्थिति मे परिवर्तन करने पर उतारू है दिनांक 19.01.2022 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी की वो जबरन प्रवेश कर देगे तो प्रार्थीगण एव अन्य खातेदारान ने अप्रार्थीगण को समझाया पर वो नही माने तथा दिनांक 07.03.2022 को प्रार्थीगण को फिर ऐलानिया धमकी दी कि वो भूमि मे जबरन कब्जा कर लेगे क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि क्रय कर ली है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी द्वारा यह वाद बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को कार्यालय समय दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये जिसके आधार पर अधिवक्ता द्वारा पक्षकारो के वकालतनामा मय जबाव पेश किये गये जो शामिल मिसल की किये गये।

अप्राथीगण अधिवक्त द्वारा अपने जबाव के तथ्यो को दोहरते हुवे बहस मे बताया गया कि ग्राम भाचरणा के खेत खसरा संख्या 313 रकबा 8.5065 हैक्टर चाही तृतीय खसरा संख्या 322 रकबा 0.0162 हैक्टर गैर मुमकीन ओडिया खसरा संख्या 323 रकबा 10.3599 हैक्टर चाही तृतीय खसरा संख्या 352 रकबा 0.0162 गैर मुमकीन बेरा कुल खसरा 4 कुल रकबा 18.8988 हैक्टर वाके ग्राम भाचरणा पटवार क्षेत्र भाचरणा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है। जो भूमि संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है प्रार्थीगण के अनुसार जिस प्रकार से उक्त भूमि को आगे विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है उसी अनुसार विवादग्रस्त कृषि भूमि संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है तथा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हो रखा है सहखातेदार अपना हक व हिस्से की भूमि का बेचान कर सकता है अप्रार्थी सख्यज्ञ 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे अपना हक व हिस्सा उक्त भूमि मे बनता है उसी अनुसार बेचान किया है अप्रार्थी संख्या 2 के नाम सेटलमेन्ट से सयुक्त खातेदारी दर्ज है तथा अप्रार्थी संख्या 2 व अन्य खातेदारी के नाम से ही मिसल बन्दोबस्त जारी हुई है अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 को अपने हक व हिस्से की भूमि का बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया है जहॉ पर अप्रार्थी संख्या 2 का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त था उसी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 काश्त कर रहे है जिसमे प्रार्थीगण को किसी प्रकार से अपूर्णीय क्षति नही है तथा न ही किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है प्रार्थीगण ने सारे तथ्य गलत व झूठे उल्लेखित किए है इस कारण प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि ग्राम भाचरणा के सहखातेदारी कृषि भूमि के खसरा संख्या 313 रकबा 8.5065 हैक्टर चाही तृतीय खसरा संख्या 322 रकबा 0.0162 हैक्टर गैर मुमकीन ओडिया खसरा संख्या 323 रकबा 10.3599 हैक्टर चाही तृतीय खसरा संख्या 352 रकबा 0.0162 गैर मुमकीन बेरा कुल खसरा 4 कुल रकबा 18.8988 हैक्टर वाके ग्राम भाचरणा पटवार क्षेत्र भाचरणा तहसील लूणी जिला जोधपुर मे आई हुई है। जो भूमि संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है। जिसमे प्रार्थीगण को बेदखल नही करे तथा उपयोग उपयोग मे बाधा उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करवाये तथा मूल वाद का निस्तारण होने तक राजस्व रेकार्ड मे किसी प्रकार रद्वोबदल नही करेगे तथा मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरओ 2018–2019 के पेज संख्या 497 पेश कियां।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि उक्त भूमि संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हुआ है इस कारण प्रत्येक इंच इंच भूमि पर सभी सहखातेदारो का हक व हिस्सा बनता हैं। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्रया मामला एव सुविधा का

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 15.03.2022 को प्रार्थीगण के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी जो सही है जिसको वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जानी न्यायोचित प्रतीत होता है।न्यायिक दृष्टांत मे भी सहखातेदारो की भूमि बाबत केता के विरूद्व स्थगन जारी बाबत मत परिपदित किया है।

अतःप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम भाचरणा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा सख्या 313 रकबा 8.5065 हैक्टर चाही तृतीय खसरा संख्या 322 रकबा 0.0162 हैक्टर गैर मुमकीन ओडिया खसरा संख्या 323 रकबा 10.3599 हैक्टर चाही तृतीय खसरा संख्या 352 रकबा 0.0162 गैर मुमकीन बेरा कुल खसरा 4 कुल रकबा 18.8988 हैक्टर मे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करे एव न ही उक्त चारो खसरान की कृषि भूमियो को खुर्द –बूर्द इत्यादि नही करे आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

(पुखराज कासोटिया, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

Scanned by CamScanner